उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 30.03.2023

यू0पी0सी0एल0 की वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पारित टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के सहीकरण (truing up), वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (APR) एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं टैरिफ याचिका पर निर्धारण हेतु दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 को आयोग के समक्ष पीटिशन प्रस्तुत की गई।

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा विद्युत क्रय लागत एवं अन्य खर्चों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु 13.25% वितरण हानि के आधार पर कुल धनराशि रू0 10,394.42 करोड़ वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) दर्शायी गयी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021–22 के सहीकरण (truing up) को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 1507.13 करोड (including carrying cost) का राजस्व अन्तर दर्शित किया गया था। उक्त राजस्व अन्तर की वसूली के लिए यूपीसीएल द्वारा टैरिफ में लगभग 16.96% की वृद्धि प्रस्तावित की गयी।

- **इस टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अभिलेखों के समीक्षोपरान्त निम्न अनुमोदन किये गयेः–**

  (1) वित्तीय वर्ष 2021–22 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up)।

  (2) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR)

  (3) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ निर्धारण।

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के परीक्षणों के आधार पर आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, वर्ष 2021–22 के सहीकरण (truing up) को सम्मिलित करते हुए, वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) रू0 9900.54 करोड़ निर्धारित किया गया है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 14854.84 एमयू की अनुमानित विक्रय पर वर्तमान टैरिफ (दिनांक 31 मार्च 2022 के अनुमोदित टैरिफ के अनुरूप) के आधार पर कुल राजस्व रू0 9029.69 करोड़ का अनुमान आंकलित किया गया,

जिसके फलस्वरूप रू0 870.85 करोड़ का राजस्व अन्तर आया। इस राजस्व अन्तर रू0 870.85 करोड़ की वसूली के लिए वार्षिक टैरिफ में लगभग 9.64% की वृद्धि अनुमोदित की गयी।

- उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अनुमोदित टैरिफ रू0 9900.54 करोड़ एवं 14854.84 एमयू की अनुमानित विक्रय के अधार पर आपूर्ति की औसत लागत रू0 6.66 / KWh होती है जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अनुमोदित आपूर्ति की औसत लागत रू0 5.89 / KWh थी।

- मा0 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वितरण हानि 13.25% अनुमोदित की गयी, जो कि यूपीसीएल द्वारा व्यापार योजना के लिए पारित आदेश दिनांक 31.03.2022 के अनुरूप आंकलित की गयी थी। इस प्रकार अनुमानित विक्रय एवं वितरण हानि के अन्तर को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये कुल 17,366.87 एम0यू0 ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त केवल वित्तीय वर्ष 2023–24 की आवश्यकता के लिए 420 एम0यू0 अतिरिक्त ऊर्जा क्रय की जानी होगी, जो कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में बैंकिग आधार पर प्राप्त की गयी ऊर्जा को वापस करने के आधार पर है।

    - वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका : 1 वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु अनुमोदन (रू0 करोड़)

क्र.	विवरण	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित	आयोग द्वारा अनुमोदित
1.	विद्युत क्रय पर खर्च	6796.5	7352.92
2.	यूजेवीएन लि0 बकाया		(25.60)
3.	पारेषण शुल्क		
	पीजीसीआईएल	775.34	598.40
	पिटकुल एवं एस0एल0डी0सी0 चार्जेज	408.52	369.75
4.	ऋण पर ब्याज	158.98	150.12
5.	मूल्य ह्रास	311.54	244.41
6.	O&M व्यय	770.99	741.04
7.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	140.24	139.41
8.	लाभांश	183.3	176.91
9.	**वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**9545.41**	**9747.35**
10.	घटायाः गैर टैरिफ आय	272.5	429.57
11.	जोड़ः सहीकरण का प्रभाव अन्तर / (अधिशेष)	1121.51	582.76
12.	**शुद्ध राजस्व आवश्यकता**	**10394.42**	**9900.54**
13.	**वर्तमान टैरिफ में राजस्व**	8887.29	9029.69
14.	**अन्तर / (अधिशेष)**	**1507.13**	**870.85**

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दुः

- मा0 आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश दिनांक 31 मार्च 2022 के सापेक्ष, समस्त बिजली कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित संकलित वृद्धि लगभग 28.57% एवं यूपीसीएल द्वारा टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि लगभग 16.96% के सापेक्ष आयोग द्वारा टैरिफ में वृद्धि को प्रतिबन्धित कर मात्र लगभग 9.64% की वृद्धि की गयी।

- आयोग ने दिनांक 28.09.2022 के आदेश के द्वारा उपभोक्ताओं से दिनांक 01.09.2022 से अतिरिक्त विद्युत खरीद अधिभार (एपीपीएस) के रूप में अतिरिक्त बिजली के मूल्य को उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के प्रभावी टैरिफ में वृद्धि हुई। इस प्रकार उपभोक्ता वर्तमान में दिनांक 31.03.2022 के आदेश में अनुमोदित टैरिफ और दिनांक 28.09.2022 के आदेश द्वारा अनुमोदित एपीपीएस का भुगतान कर रहे हैं। एपीपीएस सहित लागू मौजूदा टैरिफ को ध्यान में रखते हुए, प्रभावी टैरिफ वृद्धि केवल 1.79% है।
- आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ को पुनर्निधारित करते समय यह प्रयास किया गया कि सभी श्रेणियों में क्रास–सब्सिडी को कम किया जा सके।
- यूपीसीएल को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मासिक आधार पर बिलिंग किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
- घरेलू एवं अघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु स्थिर प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की गयी।
- बीपीएल उपभोक्ताओं (लगभग 4 लाख उपभोक्ता, कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 20%) एवं स्नोबाउण्ड उपभोक्ताओं के विद्युत मुल्य (Energy Charges) में मात्र 10 पैसा/kWh की वृद्धि की गयी।
- घरेलू श्रेणी के 100 यूनिट/माह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं हेतु विद्युत मुल्य (Energy Charges) में मात्र 25 पैसा/यूनिट की वृद्धि की गयी है। [कुल लगभग 12.54 लाख उपभोक्ता (कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 47%)]
- आयोग द्वारा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए, राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुरूप आपूर्ति की औसत लागत के 20% पर क्रॉस सब्सिडी रखने के उददेश्य से वृद्धि की है। यद्यपि यह टैरिफ बढोत्तरी के उपरान्त भी घरेलू श्रेणी की क्रॉस सब्सिडी 19.8% से 20% तक बढ़ रही है। टैरिफ पॉलिसी में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत सभी श्रेणियों के लिए टैरिफ आदर्श रूप से आपूर्ति की औसत लागत के +/– 20% के बैण्ड के भीतर रखना होता है। घरेलू श्रेणी के निम्नतम् स्लैब के लिए टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत के 80% पर रखने के लिए, टैरिफ को 100 यूनिट खपत के लिए रू0 3.75/kWh के स्वीकृत टैरिफ के मुकाबले रू0 5.33/kWh करना पड़ता। घरेलू श्रेणी के लिए 20% पर समग्र क्रॉस सब्सिडी प्राप्त करने हेतु उच्च स्लैब के लिए टैरिफ को अधिक रखा गया है।
- आयोग ने पीटीडब्ल्यू श्रेणी के लिए विद्युत मूल्य में न्यूनतम् रू0 2.15/kWh से वृद्धि कर रू0 2.30/kWh किया गया है, यद्यपि उक्त बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप भी क्रास सब्सिडी 62.73% (वित्तीय वर्ष 2022–23) से बढ़कर 64.47% हो गई है। टैरिफ पॉलिसी में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत सभी श्रेणियों का टैरिफ औसत मूल्य आपूर्ति के +/-20% की सीमा के भीतर रखना होता है। पीटीडब्ल्यू का टैरिफ अगर आपूर्ति की औसत लागत का 80% निर्धारित किया जाता है तो वह रू0 5.33/kWh होता है। इस तरह की वृद्धि के परिणामस्वरूप अचानक टैरिफ वृद्धि होगी, इसलिए पीटीडब्ल्यू के लिए टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत से 64.47% कम रखा गया है।
- आयोग द्वारा आरटीएस–4A श्रेणी के अन्तर्गत मत्स्योद्योग (Fisheries) को भी सम्मिलित किया गया है। पूर्व में इन उपभोक्ताओं से वाणिज्यिक श्रेणी के तहत टैरिफ लिया जा रहा था, जिसको की विभिन्न

उपभोक्ताओं की सुझाव के उपरान्त वाणिज्यिक श्रेणी से कृषि संबद्ध गतिविधि श्रेणी में परिवर्तित किया गया है।

- आयोग द्वारा सोलर वॉटर हीटर में छूट में वृद्धि करते हुये रू0 75.00 प्रति 50 लीटर क्षमता की गयी है, जोकि वर्तमान में यह छूट रू0 100.00 प्रति 100 लीटर क्षमता थी।
- आयोग ने डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाने वाले विद्युत बिलों के भुगतान के लिए शीघ्र भुगतान की छूट को 1.25% से बढ़ा कर 1.5% और किसी अन्य माध्यम से विद्युत बिलों के भुगतान के लिए 0.75% से बढ़ा कर 1% किया गया है।
- आयोग ने बिल योग्य मांग को वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबंधित भार का 75%, जो भी अधिक हो, में परिवर्तित किया है, जो कि वर्तमान में वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबंधित भार का 80%, जो भी अधिक हो, है।
- आयोग द्वारा पीटीडब्ल्यू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग तिथि से 30 दिनों के भीतर भुगतान किए जाने पर बिल राशि में 5% की छूट के साथ द्वि–मासिक बिलिंग प्रणाली अनुमोदित की गयी है। पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं को विलम्बित भुगतान अधिभार के बिना बिलों की तारीख से 4 महिने के भीतर अपने बिलों का भुगतान करने की सुविधा दी जाती है।
- यूपीसीएल को निरन्तर आपूर्ति का विकल्प देने वाले उद्योगों को 24 घण्टे आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिये गये है, जिसके अनुपालन न किये जाने पर कार्यवाही की जा सकती है।
- आयोग ने पीक आवर टैरिफ को 130% के बराबर और ऑफ पीक आवर में सामान्य घण्टे के टैरिफ के 20% की छूट को बरकरार रखा है।
- माह में प्रतिदिन 18 घण्टे की न्यूनतम औसत आपूर्ति प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में एच0टी0 औद्योगिक उपभोक्ताओं का डिमान्ड चार्जेज उस माह में अनुमोदित डिमाण्ड चार्जेज का 80% लगाया जायेगा।
- आयोग द्वारा एचटी उपभोक्ताओं जिनका संविदाकृत भार 75kW／88kWA से ऊपर है तथा जो केवल नवीनिकरण ऊर्जा श्रोतों के माध्यम से विद्युत खपत चाहते है उनके लिए हरित टैरिफ न्यूनतम् प्रीमियम रू0 0.26／kWh स्वीकृत टैरिफ से ऊपर अनुमोदित किया गया है। इस टैरिफ आदेश में वर्तमान में रू0 0.45/kWh से घटा कर रू0 0.26/kWh किया गया है।
- वर्तमान टैरिफ आदेश दिनांक 31.03.2022 एवं अतिरिक्त विद्युत खरीद अधिभार (एपीपीएस) आदेश दिनांक 28.09.2022 के सापेक्ष, उपभोक्ताओं की श्रेणियों में टैरिफ की सामान्य वृद्धि उपरान्त औसत बिलिंग दर में वृद्धि निम्नवत् हैः

तालिका–2 : वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु औसत बिलिंग दर में वृद्धि

श्रेणी	अनुमोदित टैरिफ	वर्तमान टैरिफ (with APPS)	संशोधित औसत बिलिंग दर	संशोधित औसत बिलिंग दर में वृद्धि w.r.t 31.03.2022	संशोधित औसत बिलिंग दर (APPS के साथ) में वृद्धि	% वृद्धि	% वृद्धि
	As per T.O 31.03.2022	As per Order dt. 28.09.022 (with APPS)	ABR (Rs/KWh)			As per T.O 31.03.2022	with APPS
घरेलू	4.98	5.15	5.33	0.35	0.18	6.98%	3.44%
अघरेलू	6.95	7.70	7.74	0.79	0.04	11.41%	0.57%
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी	6.74	7.57	7.70	0.95	0.12	14.16%	1.62%
पीटीडब्ल्यू	2.20	2.26	2.37	0.17	0.11	7.61%	4.73%
एल0टी0 इंडस्ट्रीज	6.47	7.10	7.20	0.73	0.10	11.21%	1.34%
एच0टी0 इंडस्ट्रीज	6.54	7.17	7.26	0.72	0.10	11.05%	1.34%
मिक्स लोड	6.01	6.74	6.95	0.93	0.20	15.54%	3.03%
रेलवे	5.64	6.28	6.89	1.25	0.61	22.12%	9.68%
EV चार्जिंग प्वाईंट	5.50	5.95	6.25	0.75	0.30	13.64%	5.04%

- घरेलू श्रेणी के लिये वर्तमान टैरिफ के सापेक्ष औसत टैरिफ वृद्धि लगभग 3.44% है तथा क्रॉस–सब्सिडी के स्तर -20% है, जो कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी में प्रदान की गई सीमा +/-20% के भीतर है।
- टैरिफ नीति में निर्दिष्ट सब्सिडी वाली श्रेणियों सहित सभी श्रेणियों के लिए आपूर्ति की औसत लागत का ±20% का मापदण्ड उपभोग के मिश्रण पर निर्भर करता है। उत्तराखण्ड राज्य में, कुल खपत का लगभग दो तिहाई हिस्सा सब्सिडी देने वाली श्रेणियों का है, जबकि सब्सिडी वाली श्रेणियों द्वारा खपत, कुल खपत का लगभग एक तिहाई है। फलस्वरूप सभी सब्सिडी देने वाली श्रेणियों की क्रॉस सब्सिडी याचिकाकर्ता की आपूर्ति की कुल औसत लागत के 20% के भीतर है, जबकि पीटीडब्ल्यू श्रेणी के लिए सब्सिडी आपूर्ति की कुल औसत लागत के 20% से अधिक है।
- विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये दिनांक 01.04.2023 से अनुमोदित फुटकर टैरिफ दरों का विवरण निम्नवत् हैः–

आर0टी0एस0–1: घरेलू

तलिका 3 : घरेलू उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ

S. No.	Description	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य (टैरिफ आदेश 31.03.22 के अनुसार)	विद्युत मूल्य APPS सहित	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0–1: घरेलू							
1.1	लाईफ–लाईन उपभोक्ता	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.65/kWh	Rs. 1.65/kWh	Rs. 20/ Connection	Rs. 1.70/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.75/kWh
1.2	अन्य घरेलू उपभोक्ता							
(i)	0-100 यूनिट्स / माह	• Upto 1 kW-Rs. 60/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW -Rs. 70/kW/ month • Above 4 kW-Rs. 80/kW/ month	Rs. 2.90/kWh	Rs. 2.95/kWh	• Upto 1 kW-Rs. 65/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW-Rs. 85 /kW/month • Above 4 kW-Rs. 90/kW/ month	Rs. 3.00/kWh	• Upto 1 kW-Rs. 60/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW-Rs. 70/ kW/ month • Above 4 kW-Rs. 80/kW/ month	Rs. 3.15/kWh
(ii)	101-200 यूनिट्स / माह		Rs. 4.20/kWh	Rs. 4.40/kWh		Rs. 4.55/kWh		Rs. 4.60/kWh
(iii)	201-400 यूनिट्स / माह		Rs. 5. 80 /kWh	Rs. 6.10 /kWh		Rs. 6.35/kWh		Rs. 6.30 /kWh
(iv)	400 से ऊपर यूनिट्स / माह		Rs. 6.55/kWh	Rs. 6.90/kWh		Rs. 7.15/kWh		Rs. 6.95/kWh
2	एकल बिन्दु थोक आपूर्ति	Rs. 100/kVA	Rs. 5.40/kVAh	Rs. 5.85/kVAh	Rs.125/kW	Rs. 6.15/kVAh	Rs. 100/kVA	Rs. 6.25/kVAh

आर0टी0एस0–1ए : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती प्रभार

तालिका 4 : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य (टैरिफ आदेश 31.03.22 के अनुसार)	विद्युत मूल्य APPS सहित	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0 1ए : हिमाच्छादित							
1.	घरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.65/kWh	Rs. 1.65/kWh	Rs. 20/ Connection	Rs. 1.75/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.75/kWh
2.	1 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.65/kWh	Rs. 1.65/kWh	Rs. 20/ Connection	Rs. 1.75/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.75/kWh
3.	1 किलो वाट से ऊपर व 4 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.40/kWh	Rs. 2.40/kWh	Rs. 20/ Connection	Rs. 2.55/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.60/kWh
4.	4 किलो वाट से ऊपर के अघरेलू	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.55/kWh	Rs. 3.55/kWh	Rs. 35/ Connection	Rs. 3.70/kWh	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.80/kWh

आर0टी0एस0–2 : अघरेलू टैरिफ

तालिका 5 : अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य (टैरिफ आदेश 31.03.22 के अनुसार)	विद्युत मूल्य APPS सहित	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
1	सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों एवं चिकित्सालयों आदि							
1.1	25 किलो वॉट तक	Rs. 80/ kW	Rs. 4.75/ kWh	Rs. 5.37/ kWh	Rs.100/kW	Rs 5.40/kWh	Rs. 80/ kW	Rs. 5.40/ kWh
1.2	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 90/ kVA	Rs. 4.50/ kVAh	Rs. 5.12/ kVAh	Rs. 110/kVA	Rs 5.30 /kVAh	Rs. 90/ kVA	Rs. 5.15/ kVAh
2	अन्य अघरेलू उपभोक्ता							
2.1	4 कि0वॉ0 तक तथा उपभोग 50 यूनिट्स तक प्रतिमाह	Rs. 75 / kW	Rs. 4.80/ kWh	Rs. 5.10/ kWh	Rs 85 /kW	Rs. 5.25 /kWh	Rs. 75 / kW	Rs. 5.10/ kWh
2.2	अन्य 25 किलोवॉट तक जो ऊपर 2.1 में शामिल नहीं	Rs. 95 / kW	Rs. 5.90/ kWh	Rs. 6.67/ kWh	Rs. 120 /kW	Rs. 7.00 /kWh	Rs. 95 / kW	Rs. 6.70/ kWh
2.3	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 95 / kVA	Rs. 5.90/ kVAh	Rs. 6.67/ kVAh	Rs. 120 /kVA	Rs. 7.00 /kVAh	Rs. 95 / kVA	Rs. 6.70/ kVAh
3	75 किलोवॉट से ऊपर सिंगल प्वाइंट थोक आपूति	Rs. 110 / kVA	Rs. 6.00/ kVAh	Rs. 6.78/ kVAh	Rs. 140/ kVA	Rs. 7.10 /kVAh	Rs. 110 / kVA	Rs. 6.80/ kVAh
4	स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग	Rs. 120/ kW	Rs. 6.65/kWh	Rs. 7.51/kWh	Rs. 150/ kW	Rs 7.90 /kWh	Rs. 120/ kW	Rs. 7.50/kWh

आर0टी0एस0–3 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़

तलिका 6 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़ हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य (टैरिफ आदेश 31.03.22 के अनुसार)	विद्युत मूल्य APPS सहित	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
शहरी (मीटर्ड)	Rs. 100/kVA	Rs. 6.05/ kVAh	Rs. 6.84/ kVAh	Rs. 130/kVA	Rs. 7.40/ kVAh	Rs. 115/kVA	Rs. 6.90/ kVAh
ग्रामीण (मीटर्ड)	Rs. 90/kVA	Rs. 6.05/	Rs. 6.84/	Rs. 120/kVA	Rs. 7.40/	Rs. 105/kVA	Rs. 6.90/

विवरण	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य (टैरिफ आदेश 31.03.22 के अनुसार)	विद्युत मूल्य APPS सहित	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
		kVAh	kVAh		kVAh		kVAh

आर0टी0एस0–4/4ए : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

तालिका 7 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य (टैरिफ आदेश 31.03.22 के अनुसार)	विद्युत मूल्य APPS सहित	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–4: निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स							
मीटर्ड	Nil	Rs. 2.15/ kWh	Rs. 2.20/ kWh	Nil	Rs. 2.35/ kWh	Nil	Rs. 2.30/ kWh
आर0टी0एस0–4ए: कृषि सहयोगी सेवायें							
मीटर्ड	Nil	Rs. 2.85/ kWh	Rs. 3.05/ kWh	Nil	Rs. 3.25/ kWh	Nil	Rs. 3.25/ kWh

आर0टी0एस0–5 : इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

तालिका 8 : एलटी इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य (टैरिफ आदेश 31.03.22 के अनुसार)	विद्युत मूल्य APPS सहित	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-5: इंडस्ट्री							
एलटी इंडस्ट्रीज							
1. अनुबंधित भार 25 किलोवॉट तक	Rs. 165/ kW	Rs. 4.80/ kWh	Rs. 5.42/ kWh	Rs. 195/ kW	Rs. 5.60/ kWh	Rs. 170/ kW	Rs. 5.45/ kWh
2. अनुबंधित भार 25 किलोवॉट से अधिक	Rs. 170/ kVA	Rs. 4.50/ kVAh	Rs. 5.12/ kVAh	Rs. 210/ kVA	Rs. 5.30/ kVAh	Rs. 175/ kVA	Rs. 5.15/ kVAh

तालिका 9 : एचटी इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

क0	श्रेणी	लोड फेक्टर	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
			विद्युत मूल्य (टैरिफ आदेश 31.03.22 के अनुसार) (Rs./kVAh)	विद्युत मूल्य APPS सहित (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVAh)	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)
1	**88kVA/75 kW (100 BHP) से अधिक अनुबन्धित लोड वाली एच0टी0 इंडस्ट्रीज**								
1.1	1000 kVA तक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	4.80	5.42	Rs. 360/kVA of the billable demand	5.70	Rs. 440/kVA of the billable demand	5.50	Rs. 390/kVA of the billable demand
		Above 40%	5.20	5.82		6.20		5.90	
1.2	1000 kVA से अधिक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	4.80	5.42	Rs. 430/kVA of the billable demand	5.70	Rs. 530/kVA of the billable demand	5.50	Rs. 460/kVA of the billable demand
		Above 40%	5.20	5.82		6.20		5.90	

आर0टी0एस0-6: मिश्रित भार हेतु टैरिफ

तालिका 10 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य (टैरिफ आदेश 31.03.22 के अनुसार)	विद्युत मूल्य APPS सहित	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–6 : मिश्रित भार							
डीम्ड लाईसेंसी के रूप में एम0ई0एस0 सहित 75 किलोवॉट से ऊपर मिश्रित भार सिंगल प्वाईंट थोक आपूर्ति	Rs. 120/kVA	Rs. 5.60/kVAh	Rs. 6.33/kVAh	Rs. 145/kVA	Rs. 6.70/kVAh	Rs. 130/kVA	Rs. 6.50/kVAh

आर0टी0एस0–7 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

तलिका 11 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य (टैरिफ आदेश 31.03.22 के अनुसार)	विद्युत मूल्य APPS सहित	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-7: रेलवे ट्रैक्शन	Rs. 285/kVA	Rs. 4.90/ kVAh	Rs. 5.54/ kVAh	Rs. 320/kVA	Rs. 5.70/ kVAh	Rs. 315/kVA	Rs. 6.10/ kVAh

आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्

तालिका 12 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस् हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ			UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य (टैरिफ आदेश 31.03.22 के अनुसार)	विद्युत मूल्य APPS सहित	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्	--	Rs. 5.50/ kWh	Rs. 5.95/ kWh	--	Rs. 6.25/ kWh	--	Rs. 6.25/ kWh

****